न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 19 / 2024	2024 / 53	08–05–2024	29–08–2024

1. श्रीमती पॉचो धर्मपत्नी साबूदीन उम्र करीब 61 वर्ष निवासी तूलेडा, अलवर (राजस्थान)।
–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रेशी पत्नी हम्मू खां जाति मेव निवासी ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर राज0।
– रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व तहसीलदार (भू0अ0) अलवर इंतकाल सं0 1825 दिनांक 05.03.2014 वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर ।

उपस्थितः–
1.श्री नरेश चौधरी –वकील अपीलाण्ट

:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 05.03.2014 इंतकाल संख्या 1825 वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मातहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पो0 अनुपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के बाला बाला गलत तरीके पर इन्तकाल बय नंबर 1825 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 2521 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर का श्रीमति रेशी रैस्पाडेन्टा के नाम तारीख 05–03–2014 दर्ज व स्वीकार किया है जिस इन्तकाल बय का इल्म मिन अपीलान्ट को तारीख 28–03–2024 को हुआ इल्म होते हुए मिन अपीलान्टा ने उसी दिन नकल इन्तकाल प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल इन्तकाल बय मिलने केलिए तारीख 28–03–2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल बय तारीख 28–03–2024 को शाम को मिली व नकल इन्तकाल बय मिलने पर मिन अपीलान्टा ने वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। जिससे मिन अपीलाण्ट ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया जिसमें समय लग गया जिससे बिला देरी के अपील सेवा में पेश है। जो उक्त देरी काबिल माफी है। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। मिन अपीलाण्ट ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है। मिन अपीलान्ट उक्त इन्तकाल में पक्षकार नहीं थी व इन्तकाल से मिन अपीलान्ट के हकूक जायल होकर खतरे में पडने का अन्देशा है चूंकि आराजी मुतनाजा मिन अपीलान्ट व श्रीमति रेशी रैस्पाडेन्ट ने खरीद की हैं लेकिन इन्तकाल बय गलत तरीक पर श्रीमति रेशी रैस्पाडेन्ट के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है जिससे मिन अपीलान्ट को अपील दायर करने की इजाजत दी जावे जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा०दी०अलग से पेश है। आराजी मुतनाजा को मिन अपीलान्ट व श्रीमति रेशी ने दर्शन सिंह, श्रीमति जगजीत कौर, श्रीमति शीला, श्रीमति महेन्द्र बाई, श्रीमति मंजीत कौर, अवतार सिह, श्रीमति जीत कौर, श्रीमति गुरप्रीत कौर, श्रीमति सिन्दर कौर उर्फ छिन्दर कौर, श्रीमति अंग्रेज कौर, श्रीमति पिंकी कौर, हरजीत सिंह ने जरिये बयनामा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र०)
अलवर (राज०)

दिनांक 22-08-2013 को खरीद की है जो उप पंजीयक महोदय अलवर द्वितीय से तारीख 22-08-2013 को पंजीबद्ध किया गया हैं व आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट व श्रीमती रेशी समान रूप से काबिज दखिल हैं व काश्त करती चली आ रही हैं लेकिन गलत तरीके पर तहत अदालत ने तन्हा इन्तकाल बय श्रीमति रेशी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज व स्वीकार किया है व उक्त इन्तकाल बय के तहत आराजी मुतनाजा के बाबत रेवेन्यू रिकार्ड में श्रीमति रेशी का नाम दर्ज हैं जो नियम विरूद्ध है जबकि आराजी मुतनाजा मिन अपीलान्ट व श्रीमति रेशी ने उक्त दर्शन सिह, श्रीमति जगजीत कौर, श्रीमति शीला, श्रीमति महेन्द्र बाई, श्रीमति मंजीत कौर, अवतार सिह, श्रीमति जीत कौर, श्रीमति गुरप्रीत कौर, श्रीमति सिन्दर कौर उर्फ छिन्दर कौर, श्रीमति अंग्रेज कौर, श्रीमति पिंकी कौर, हरजीत सिंह से समान रूप से खरीद की हैं। लेकिन तहत अदालत ने गौर नही किया। श्रीमति रेशी आराजी मुतनाजा को गलत तरीक पर दीगर शख्स के हक में रहन बय हिबा वगैरा के जरिये मुन्तकिल मकफूल करने पर उतारू है मिन अपीलान्टा को आराजी मुतनाजा में पैदावार काश्त सम्बन्धी कुल कार्य करने में रूकावट व मजाहमत करती हैं व जबरन बेदखल करके अपना जबरन कब्जा करना चाहती हैं जिसका उसको कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही हैं। उक्त आराजी मुतनाजा नंबर 2521 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा अलवर मिन अपीलान्टा व श्रीमति रेशी ने उक्त दर्शन सिह, श्रीमति जगजीत कौर, श्रीमति शीला, श्रीमति महेन्द्र बाई, श्रीमति मंजीत कौर, अवतार सिह, श्रीमति जीत कौर, श्रीमति गुरप्रीत कौर, श्रीमति सिन्दर कौर उर्फ छिन्दर कौर, श्रीमति अंग्रेज कौर, श्रीमति पिंकी कौर, हरजीत सिंह से खरीद की हैं व आराजी मुतनाजा का कब्जा मिन अपीलान्टा व श्रीमति रेशी का समान रूप से चला आ रहा है लेकिन तहत अदालत इस बिन्दु पर गौर नहीं किया व गलत तरीक पर आराजी मुतनाजा का इन्तकाल बय तन्हा श्रीमति रेशी के नाम दर्ज व स्वीकार करने में भारी भूल की है व उक्त इन्तकाल के तहत रेवेन्यू रिकार्ड में आराजी मुतनाजा के बाबत श्रीमति रेशी का नाम गलत तरीक पर इन्द्राज आया है जो गलत है नियम विरूद्ध है, जबकि आराजी मुतनाजा मिन अपीलान्टा व श्रीमति रेशी ने खरीद की है व इन्तकाल बय मिन अपीलान्टा व श्रीमति रेशी के नाम दर्ज व स्वीकार किया जाना था व इसी आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में मिन अपीलान्टा व श्रीमति रेशी का नाम आराजी मुतनाजा के बाबत अमल आना चाहिये था लेकिन गलत तरीक पर तहत अदालत ने इन्तकाल बय तन्हा श्रीमति रेशी का नाम दर्ज व स्वीकार किया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टा मंजूर फरमायी जाकर उक्त इंतकाल बय संख्या 1825 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 2521 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा अलवर का इन्तकाल बय श्रीमति रेशी के नाम दर्ज व स्वीकार किया है व इसी आधार पर कागजातमाल मे इन्द्राज हुआ हैं व उक्त आराजी मुतनाजा के बाबत कायम हुए जिसमें भी उक्त इन्तकाल बय के तहत इन्द्राज कागजात माल में हुआ है उसके स्थान पर रेशी व मिन अपीलान्टा दर्ज किया जावे व अपील अपीलान्टा मंजूर की जावे व श्रीमति रेशी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा को किसी दीगर शख्स के हक में रहन बय हिबा वगैरा के जरिये मुन्तकिल मकफूल ना करे ना मिन अपीलान्टा को आराजी मुतनाजा में पैदावार सम्बन्धी कुल कार्य करने में किसी भी किस्म रूकावट मजाहमत ना करे व बाज आवे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्व दिनांक 02.04.2024 को पेश की गयी है जो करीब 10 वर्ष 30 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नंबर 2521 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा अलवर का इन्तकाल संख्या 1825 श्रीमति रेशी के नाम दर्ज व स्वीकार किया है व इसी आधार पर कागजातमाल मे इन्द्राज हुआ, जिसमें आराजी खसरा नंबर 2521 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा अलवर का पूर्ण भाग अपीलाण्ट व रेस्पो0 द्वारा सम्मिलित रूप से खरीद किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नामान्तकरण संख्या 1825 दर्ज व स्वीकार करते समय विवादित आराजी का इंतकाल रेस्पो0 के नाम ही दर्ज व स्वीकार किया गया है, जबकि बयनामा दिनांक 22.08.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी श्रीमती रेशी पत्नी श्री हम्मू खां एवं पांचो पत्नी श्री साबूदीन के द्वारा सम्मिलित रूप से क्रय की गई है, जिसका इंतकाल भी बयनामे के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इन्तकाल संख्या 1825 केवल श्रीमति रेशी के नाम दर्ज व स्वीकार किया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 05.03.2014 इंतकाल संख्या 1825 वाके ग्राम तूलेड़ा अलवर को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार अलवर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विधिवत प्रकरण दर्ज कर प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)